



क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
"पंचदीपभवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 001

दूरभाष-0141-2226133
फैक्स-0141-2226134
Website-
www.esicrajasthan.in
E-mail:
rd-rajasthan@esic.nic.in

संख्या: 15-यू-11/पीटीएमआर/एसएमसी/2018

दिनांक 11.09.2019


कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए **अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी** के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है तथा यह भी आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित अंशकालीन, चिकित्सा निर्देशीकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं।

क. सं.	नमित डॉक्टर का नाम व पता	अवधि	केन्द्र का नाम	बीमितों की संख्या
1	डॉ. फरियाद मोहम्मद कनिष्ठ विशेषज्ञ, (सर्जरी) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बापू नगर, भीलवाडा, (राज) मोबाईल: 09829264687	01.10.2019 to 30.09.2020	भीलवाडा, चित्तौडगढ, निम्बाहेडा, गंगापुर, गुलाबपुरा सम्बद्ध क्षेत्र।	1,17,140 (लगभग)

उक्त अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी मुख्यालय के पत्र संख्या U-13/12/13/2005- Med.I/PTMR दिनांक 01.10.2008(सलंगन) के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।

शेष सभी शर्तें पूर्व जारी आदेशानुसार ही रहेंगी।


(एस डी चन्देल)
उपनिदेशक

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. चिकित्सा आयुक्त (मेड-1), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जोधपुर।
6. उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
7. शाखाधिकारी, (नकद हितलाभ), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
8. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, भीलवाडा/चित्तौडगढ/गुलाबपुरा को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय एवं आवश्यकतानुसार विजिट की संख्या निश्चित करें एवं शाखा प्रबंधक, भीलवाडा को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
10. सहायक निदेशक (पीआर), कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाइट www.esicrajasthan.in पर उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित को प्रेषित करने का श्रम करें।